ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

37/19 तारीखरजू:- 3/7/19

उनवानः— जनक सिह बनाम रामनिवास वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम
प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 09/08/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 319/0.44, 330/0.19, 332/0.01, 705/0.01, 707/0.04, 715/2312/0.03, 716/2312/0.03, 716/2258/0.06, 717/0.86, 717/2263/1.20, 718/2256/0.05, 719/0.17, 720/2252/0.12, 723/1968/0.14, 737/0.12, 754/0.01, 755/0.14, 758/0.12, 766/0.04, 772/2309/0.30, 781/2262/0.05, 801/2329/0.06, 1072/0.13, 1479/0.01, 1480/0.25, 1481/0.37, 1482/0.26, 1491/0.20 कुल किता 27 कुल रकवा 5.38 है0 ग्र्राम महमदपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाते है।
प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9.8.19 को पेश हो।

2398-2412
3/7/19

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जि...

दिनांक	फर्द अहकाम
9-8-19	प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी नं. 1 से 12 की ओर से श्री हँसराम गुर्जर Adv. ने उपस्थिति दर्ज कराई। अप्रार्थी नं. 15 की ओर से ~~श्री हँसराम गुर्जर~~ रामभरोसी गुप्ता Adv. ने मेमो पेश किया। नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं की P.O. सा० करौली पधारे है अतः दि० 13-8-19 को पेश हो।
13-8-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष ने कथन किया है कि मूल दावा में राजीनामा पेश हो चुका है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हुए यह प्रकरण खारिज कर दिया जावे। अतः वकील उभयपक्ष के कथनानुसार यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner